छाज्या बनाम हजारी वगैरा
T.I.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-5-2015	वादी छाज्या व प्रतिवादी हजारी है। मूल दावे में पक्षकारों द्वारा पेश किए राजीनामे के अनुसार वादी ने अपना दावा वापस ले लिया है। अतः अब T.I. प्रा०पत्र को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दावे के निर्णयानुसार यह T.I. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	हजारी छाज्या
	(सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव	
	(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव	

छाज्या v/s हजारी वगैरा
दावा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कायमी तनकी हो।	26-5-2015 पत्रावली आज दि० 26-5-2015 को लोक अदालत कैम्प नौगांव पर पेश हुई। वादी छाज्या व प्रतिवादी हजारीमाली उपस्थित है। पक्षकारों को सुना गया। पक्षकारों के मध्य ख०नं० 1213 रकबा 0-23 है० ग्राम नौगांव के सम्बन्ध में राजीनामा इस आशय का हुआ है कि विवादित भूमि में ख०नं० 1213 रकबा 0-23 है० ग्राम नौगांव में जो पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें वादी छाज्या काटने को स्वतंत्र है। प्रतिवादी को इसमें कोई आपत्ती नहीं है। दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने को स्वतंत्र है। वादी अपना दावा वापस लेना चाहता है, अत: वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा अनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील कार्यवाही दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव	Pro छाज्या हजारी
कायमी तनकी हो।		
पत्र 392 दि० 65-15		
कायमी पेश हो	1362- [illegible]	

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प नौगांव

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

छाज्या पुत्र विशन्या जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. हजारी पुत्र किशनलाल, माली निवासी कैमरापाल की ढाणीं नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. केशन्ता पत्नि हजारी, माली निवासी कैमरापाल की ढाणीं नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
3. चेतराज पुत्र हजारी, माली निवासी कैमरापाल की ढाणीं नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
4. श्यामलाल पुत्र हजारी, माली निवासी कैमरापाल की ढाणीं नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
5. जीतू पुत्र हजारी, माली निवासी कैमरापाल की ढाणीं नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
6. सोनू पुत्र हजारी, माली निवासी कैमरापाल की ढाणीं नौगांव तहसील गंगापुर——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 24/2014

वादी की ओर से वादी छाज्या की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी हजारी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार विवादित भूमि ख0नं 1213 रकबा 23 एयर ग्राम नौगांव में जो पेड लगे हुए हैं उन्हें वादी छाज्या काटने को स्वतंत्र है प्रतिवादी को इसमें कोई आपत्ती नहीं है। दोनों पक्ष अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने को स्वतंत्र हैं एवं राजीनामे के अनुसार वादी को यह दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा ।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	